प्रेस नोट

सरहानीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक 20.08.2024

- **अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ की गयी कड़ी कार्यवाही।**
- **थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये 03 नफर अभियुक्तगणों को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल के साथ किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तो के कब्जे से 01 अदद थैला में 3,60,000 रूपये नगद, 13 अदद क्रेडिट/डेबिट कार्ड, मृतक का आधार व पैन कार्ड, 01 अदद टैब, 01 अदद मोबाइल, 01 अदद चार्जर, 01 अदद बायोमेट्रिक मशीन, 01 अदद आरसी, 01 अदद बीमा प्रपत्र, 01 पेन्ट शर्ट, 01 अदद बांका लोहा (आलाकत्ल), 01 अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पेलेन्डर प्लस बरामद किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 18.08.2024 को वादी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री काशी प्रसाद निवासी ग्राम अल्हनीपुर मिरगाँव थाना सिकन्दरा कानपुर देहात द्वारा खुद के पुत्र के साथ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार औजार से मारकर हत्या करके शव को नहर के पानी मे फेंक देने के सम्बन्ध में थाना सिकंदरा पर मु0अ0सं0 166/24 धारा 130/238 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 20.08.2024 को थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर समय करीब 01.20 बजे सूर्या ब्रिज कानपुर औरैया मार्ग थाना क्षेत्र सिकन्दरा से मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्तगण **1. प्रान्जुल उर्फ गोलू पुत्र राजेश कुमार कटियार ग्राम अल्हनीपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात 2. नवनीत उर्फ भोलू पुत्र राकेश कुमार कटियार निवासी ग्राम अल्हनीपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात हाल पता विकास नगर कस्बा व थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात 3. अभिजीत उर्फ बाबू पुत्र प्रमोद कटियार निवासी ग्राम तमरापुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद थैला में 3,60,000 रूपये नगद, 13 अदद क्रेडिट/डेबिट कार्ड, मृतक का आधार व पैन कार्ड, 01 अदद टैब, 01 अदद मोबाइल, 01 अदद चार्जर, 01 अदद बायोमेट्रिक मशीन, 01 अदद आरसी, 01 अदद बीमा प्रपत्र, 01 पेन्ट शर्ट, 01 अदद बांका लोहा (आलाकत्ल), 01 अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पेलेन्डर प्लस बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- अभियुक्तगणों ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब पंकज कटियार जो जनसेवा केन्द्र व मनीट्रान्सफर का काम हरिहरपुर चौराहा कस्बा सिकन्दरा में करता था, जो अपने साथ आने जाने मे तीन से चार लाख रूपये साथ लेकर चलता था। इस बात की जानकारी हम प्रान्जुल उर्फ गोलू, नवनीत उर्फ भोलू, अभिजीत उर्फ बाबू व अजय पुत्र सुन्दर लाल पटेल निवासी पंजांवा थाना मानिकपुर जिला प्रतापगढ जो अभिजीत का मामा है को जानकारी थी। पंकज को लूटने के लिये हम चारों लोग लूटपाट करने का

प्लान कई दिन से बना रहे थे कि मौका मिलने पर दिनांक 17.08.2024 की रात्रि को हम लोगो ने नवनीत उर्फ भोलू को पंकज के मोबाइल पर फोन करवाकर के बताया कि नवनीत अपने गांव तुम्हारे साथ में जायेगा प्लानिंग के तहत पंकज की मोटर साइकिल पर नवनीत खाद की बोरी के साथ बैठकर सिकन्दरा से निकला। हम लोगों में से प्रान्जुल उर्फ गोलू, अभिजीत उर्फ बाबू कटियार व अजय प्रान्जुल की मोटरसाइकिल से पूर्व निर्धारित प्लानिंग के तहत नहर पटरी कच्चे रास्ते पर मौजूद थे और पंकज की मोटरसाइकिल का आने का इंतजार कर रहे थे जैसे ही गाडी नहर पटरी पर उजागर के खेत के सामने पहुंची कि अचानक नवनीत ने मोटरसाइकिल को उसी स्थान पर रोकने के लिए कहा तो पंकज ने अपनी मोटरसाईकिल रोक दी मोटरसाईकिल रूकने के बाद इंतजार कर रहे हम में से तीनों लोगों ने एक साथ पंकज के कंधो मे टंगा बैग छीनने का प्रयास किया तो पंकज द्वारा बल पूर्वक विरोध किया गया और हम लोगों को पहचान लिया गया तब हम लोगों ने यह सोचा कि यदि यह घर जायेगा और घटना को बतायेगा तो हम लोग फस जायेगें। अपने आप को बचाने को लेकर हम चारों लोगों ने मिलकर पंकज को जान से मारने के उद्देश्य से पकड लिया और प्रान्जुल ने अपने हाथ में लिये बांका से पंकज के सिर व शरीर पर कई वार किये जब वह मरणासन्न अवस्था में हो गया तब हम सब लोग उसको नहर किनारे पानी मे डालकर उसके ऊपर खाद की बोरी रखकर उसका बैग व मोबाइल लेकर वहां से भाग लिये थे व लूटा गया सामान प्रान्जुल को दे दिये थे और चारों लोग अपने अपने स्थान पर चले गये थे । साहब हम लोग पुलिस के डर से भागने के उद्देश्य से सूर्या ब्रिज के नीचे खडे थे कि आप लोगो ने पकड लिया है।

घटना में शामिल शेष अभियुक्त अजय की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। शीघ्र ही अभियुक्त अजय को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण–

1. प्रान्जुल उर्फ गोलू पुत्र राजेश कुमार कटियार ग्राम अल्हनीपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात
2. नवनीत उर्फ भोलू पुत्र राकेश कुमार कटियार निवासी ग्राम अल्हनीपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात हाल पता विकास नगर कस्बा व थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात
3. अभिजीत उर्फ बाबू पुत्र प्रमोद कटियार निवासी ग्राम तमरापुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 166/2024 धारा 103(1)/238/309(6) बीएनएस थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात

बरामदगी का विवरण-

01 अदद थैला में 3,60,000 रूपये नगद, 13 अदद क्रेडिट/डेबिट कार्ड, मृतक का आधार व पैन कार्ड, 01 अदद टैब, 01 अदद मोबाइल, 01 अदद चार्जर, 01 अदद बायोमेट्रिक मशीन, 01 अदद आरसी, 01 अदद बीमा प्रपत्र, 01 पेन्ट शर्ट, 01 अदद बांका लोहा (आलाकत्ल), 01 अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पेलेन्डर प्लस ।

गिरफ्तार करने वाली थाना सिकन्दरा पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री महेश कुमार
2. व0उ0नि0 श्री तबारक अहमद
3. उ0नि0 श्री चरण सिंह
4. का0 98 गौरव कुमार
5. का0 645 धीरज सिंह